# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 16/~~371~~ 292

1. मुरलीधरपुत्र बृजमोहन जाति मीणा ।
2. श्याम मुरारी आत्मज बृजमोहन जाति मीणा ।
3. रवि प्रकाश आत्मज बृजमोहन जाति मीणा ।
4. रूप किशोर आत्मज प्रेमचन्द जाति मीणा ।
5. महेन्द्र कुमार आत्मज प्रेमचन्द जाति मीणा ।
6. सुखराज आत्मज प्रेमचन्द जाति मीणा ।
7. रामराज आत्मज प्रेमचन्द जाति मीणा ।
8. केसर बाई पुत्री प्रेमचन्द जाति मीणा ।
9. रामप्यारी बाई पत्नी स्व0 प्रेमचन्द जाति मीणा निवासीगण ग्राम आटोन तहसील दीगोद जिला कोटा ।
10. मदन लाल आत्मज बिरधी लाल जाति मीणा ।
11. सत्यनारायण पुत्र बिरधीलाल जाति मीणा ।
12. रामेश्वर पुत्र बिरधीलाल जाति मीणा ।
13. द्रोपदी पुत्री बिरधीलाल जाति मीणा ।
14. सीताबाई पुत्री बिरधीलाल जाति मीणा निवासीगण ग्राम आटोन तहसील दीगोद जिला कोटा ।

———अपीलान्ट

**बनाम**

1. द्रोपदी बाई पुत्री प्रभूलाल तथाकथित पुत्री नन्दा पत्नी रामेश्वर जाति मीणा निवासी ग्राम कालारेवा तहसील दीगोद जिला कोटा ।
2. हरनारायण आत्मज बिरधीलाल जाति मीणा ।
3. रामेश्वर आत्मज बिरधीलाल जाति मीणा निवासीगण ग्राम आटोन तहसील दीगोद जिला कोटा ।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, दीगोद जिला कोटा ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :— 1. श्री बलराम शर्मा, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री घनश्याम नागर, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

## निर्णय

दिनांकः 06.10.2017

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक, दीगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04.06.2012 के विरूद्ध पेश की गई है ।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 183 के अन्तर्गत वादपत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम आटोन तहसील दीगोद में कुल 05 किता की 1.47 हैक्टर भूमि स्थित है उक्त भूमि वादिनी के खातेदारी में दर्ज है । वादिनी उक्त भूमि की रिकॉर्डेड खातेदार है । वादिनी बतौर खातेदार उक्त भूमि पर मुनाफे व पांती से काश्त करवाती आ रही है । चूँकि वादिनी अपने पति के साथ ग्राम कालोरेवा में निवास कर रही है । प्रतिवादीगण का उक्त भूमि से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं है । प्रतिवादीगण उक्त भूमि पर ताकत के बल पर जबरन कब्जा करने पर आमादा हैं जिसका उन्हें कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है ।

3. अतः वादग्रस्त आराजी से प्रतिवादीगण को बेदखल कर कब्जा वादिनी को संभलाया जावे तथा प्रतिवादीगण को भविष्य में उक्त भूमि पर कब्जा न करने के सम्बन्ध में पाबन्द फरमाया जावे ।

4. प्रतिवादीगण ने जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर वादिनी का वाद खारिज करने एवं काउन्टर क्लेम स्वीकार करने का निवेदन किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04.06.2012 के द्वारा वादी का वाद स्वीकार करते हुए प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम खारिज करते हुए प्रतिवादीगण को वादग्रस्त आराजी से बेदखल करने का आदेश पारित किया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री दिनांक 04.06.2012 से व्यथित होकर प्रतिवादीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री निरस्त करने का निवेदन किया ।

7. अपीलान्ट ने अपील मीमो के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी का प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट को पक्षकार नहीं बनाया । अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री से व्यथित पक्षकार है जिसे न्यायहित में अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे ।

8. हमने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट को पक्षकार नहीं बनाया था । अपीलान्ट ने अपने आपको अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय से व्यथित होना अंकित है जिसका रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता द्वारा कोई खण्डन नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार किया जाकर अपीलान्ट को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

9. अपीलान्ट ने अपील मीमो के साथ भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 05 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को पक्षकार बनाये बिना एवं सुनवाई और साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना ही उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी जिसकी अपीलान्ट को कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई । उक्त निर्णय एंव डिक्री की सर्वप्रथम

जानकारी दिनांक 25.05.2016 को पटवारी हल्का व कानूनगो के मौके पर आकर प्रतिवादी कम 1 को कब्जा दिलवाने का प्रयास करने पर हुई जिस पर उक्त निर्णय एवं डिक्री की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

10. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

11. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट को पक्षकार नहीं बनाया था । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही उक्त निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । वादग्रस्त आराजी पर अपीलान्ट का ही कब्जा काश्त है और वह समस्त प्रकार का कडता लगान आदि भी जमा करवाता आ रहा है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही उक्त आदेश पारित कर दिया जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 04.06.2012 निरस्त फरमाया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित फरमाया जावे ।

12. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील काफी विलम्ब से प्रस्तुत की है और विलम्ब के कोई संतोषप्रद कारण भी दर्शित नहीं किये हैं । अपीलान्ट द्वारा जानबूझकर उक्त अपील विलम्ब से पेश की है । रेस्पोडेन्ट वादग्रस्त आराजी की रिकॉर्डेड खातेदार है और उसके खातेदारी की भूमि पर प्रतिवादीगण द्वारा अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किया हुआ है जिससे वह बेदखली का अधिकारी है । वादग्रस्त आराजी से अपीलान्ट का कोई सम्बन्ध नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय ने दावा एवं जवाबदावा के आधार पर वाद–विवादक बिन्दु कायम कर प्रत्येक वाद–विवादक बिन्दु पर पक्षकारान की साक्ष्य आदि ली जाकर प्रत्येक वाद–विवादक बिन्दु पर अपना स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए उक्त निर्णय एंव डिक्री पारित की है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं दिनांक 04.06.2012 डिक्री बहाल रखी जावे ।

13. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । सर्वप्रथम हमने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब के सम्बन्ध में जो कारण दर्शित किये हैं वह उचित प्रतीत होते हैं क्योंकि प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट को पक्षकार नहीं बनाया था इसलिए उन्हें उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की जानकारी समय पर प्राप्त नहीं है । ऐसी स्थिति में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपीलान्ट द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसे न्यायालय हाजा ने स्वीकार करते हुए अपीलान्ट को प्रस्तुत प्रकरण में व्यथित पक्षकार होना मानते हुए अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की है । चूँकि प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं थे ऐसी स्थिति में अपीलान्ट द्वारा जो साक्ष्य एवं दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं उनका विचारण न्यायालय में ही अन्य पक्षकारान के साक्ष्य एवं दस्तावेज के आधार पर सिद्ध करने हैं । इस प्रकार हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायहित में उचित समझते हैं ।

15. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04.06.2012 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट एवं अन्य पक्षकारान को सुनवाई एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान दिनांक 22.11.2017 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

16. निर्णय आज दिनांक 06.10.2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा